

'DEATH ON BOARD BENEFIT SCHEME'

DETAILS OF THE WELFARE SCHEME FOR THE 'DEATH ON BOARD BENEFIT SCHEME' FOR THE NOMINEE/S OF THE DECEASED INDIAN SEAFARER.

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (hereinafter referred to as the 'Society') as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the nominee(s) of the Indian seafarer, as eligible under the provisions of Rule 4 below, may be granted financial assistance under the 'Death on Board Benefit Scheme' for death cases or presumed death cases on board, subject to the circumstances and extent detailed herein.
2. The financial assistance under the 'Death on Board Benefit Scheme' for an Indian seafarer shall be granted at the absolute discretion of the Society. The Society reserves the right to dispense with, curtail, enhance, suspend, or completely withdraw such financial assistance at any time without prior notice.
3. The availability of financial assistance under the 'Death on Board Benefit Scheme' to eligible nominee/ies of a deceased Indian seafarer (death cases or presumed death cases on board) does not confer or create any prescriptive rights whatsoever, and shall not be subject to challenge.
4. **Eligibility.**
 - (i) The scheme is applicable for all Bonafide employed / engaged Indian seafarers holding Indian CDC and is engaged through Indian Shipping Company / Indian Ship-owner on Indian flag vessel or engaged by the Registered RPSL Company on / Indian flag vessel/ foreign flag vessel.
 - (ii) The death of seafarer has occurred while on board and also presumed death cases are also considered under this scheme. This scheme will cover any sort of death occurred on Board,
 - (iii) The Bonafide of the seafarer who expired on board will be confirmed by the concerned Shipping Master, Government Shipping Office/Director Seamen's Employment Office, DG Shipping (Crew Branch).
 - (iv) The application form for this scheme is to be received by the SWFS within a period of 3 (three) months from the date of death of the seafarer / reported missing.
5. **Quantum.** The Seafarers' Welfare Fund Society (SWFS) will provide financial assistance in the form of 'Ex-gratia support' of ₹.2,00,000 (Rupees Two Lakhs only) to the nominee of the deceased seafarer, who expired on or after 12th March, 2025, as per the nomination form filed with the company/RPSL company for the concerned vessel on which the death occurred.
6. The Society may approach the Indian shipowners /registered RPS, company concerned and obtain such particulars as may be necessary for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.
7. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form, along with attested copy of CDC book.
8. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management of the SWFS may examine and decide the cases, on case-to-case basis, and its decision shall be final.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

(Registered Charitable Trust–Regn. No.F/1364/BOM)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER **'DEATH ON BOARD BENEFIT SCHEME'**

(Please refer notes given below before submitting this application form.)

1. Seafarer's name in full : Mr./Mrs./Ms.: _____
(As per CDC Book)
2. CDC Number : _____
3. The name of the vessel on Board : Date of sign-on: _____ Death of Death _____
4. Indian shipowners Co. name : _____
OR Recruitment & Placement : _____
Service (RPS) provider name : _____
& its Registration No. : _____
5. Applicant's name in full : _____
6. Relationship with seafarer : _____
7. Correspondence address : _____
Of the applicant _____
8. Telephone No./Mobile No. : Tel. No. _____ Mobile No.: _____
(with STD code No.)

I, the undersigned, wish to inform you that my husband/wife/son/daughter/father/mother Mrs./Mr./Ms. _____ expired on _____ while on board Vessel _____.

I, now request you to grant me, the financial assistance under the 'Death on Board Benefit Scheme' as per SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am submitting herewith following documents, to receive the claim under the scheme. I give below my Bank account details. **(Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)**

- (a) Attested Copy of latest CDC book /Article of Agreement for engagement of vessel where death occurred.
- (b) Attested copy of any Identity proof of the applicant (i.e. PAN card/Voter's ID card/Aadhar Card/Indian passport etc.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited:

(Attach a legible copy of front page of Bank pass book of SB account, to verify the details.)

Name of the Bank	Branch Name	Branch Address	S.B. A/c.No.	Branch IFSC Code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account showing applicant's name,)

I declare that, I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted above, and at later date, if it is found, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place: _____
(Applicant's Signature/ Thumb Impression)

Date: _____ Name of Applicant: _____

Note:

1. The scheme is applicable only for Indian seafarers holding Indian CDC and is Bonafide engaged through Indian Shipping Company / Indian Ship-owner on Indian flag vessel or engaged by the Registered RPSL company on foreign flag vessel / Indian flag vessel for cases of death on or after 12/03/2025.
2. The scheme is applicable to cases of death of seafarer occurred while on board and also presumed death cases are considered under this scheme.
3. The bonafide of the seafarer who expired on board will be confirmed by the concerned Shipping Master, Government Shipping Office/ Director Seamen's Employment Office, DG Shipping (Crew Branch).
4. The application form for this scheme is to be received by the SWFS within a period of three months from the date of death of seafarer / reported missing.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified & the applicant found eligible/not eligible under 'Death on Board Benefit Scheme' for financial assistance of ₹. _____.
(Rupees _____ Only)

Checked by D.A. Verified by (A.A.O.) Recommended by (CAAO) Approved b

“जहाज पर मृत्यु लाभ योजना”

मृतक भारतीय नाविक के नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए ‘जहाज पर मृत्यु लाभ योजना’ से संबंधित कल्याणकारी योजना का विवरण

1. सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापनके अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक के नामित व्यक्ति, जैसा कि नीचे नियम 4 के प्रावधानों के तहत पात्र हैं, को यहां विस्तृत परिस्थितियों और सीमा के अधीन, मृत्यु के मामलों या बोर्ड पर मृत मान लिए गए मामलों के लिए 'मृत्यु पर लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. भारतीय नाविक के लिए 'डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम' के तहत वित्तीय सहायता सोसाइटी के पूर्ण विवेक पर दी जाएगी। सोसाइटी किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना ऐसी वित्तीय सहायता को समाप्त करने, कम करने, बढ़ाने, निलंबित करने या पूरी तरह से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
3. एक मृत भारतीय नाविक (मृत्यु के मामले या जलयान पर मृत मान लिए गए मामले) के पात्र नामित व्यक्ति/व्यक्तियों को 'डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम' के तहत वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी प्रकार के निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है या नहीं बनाती है, और इसे चुनौती नहीं दी जाएगी।
4. **पात्रता।**
 - (i) यह योजना भारतीय सी.डी.सी. धारक सभी वास्तविक रूप से कार्यरत/नियोजित भारतीय नाविकों के लिए लागू है और भारतीय ध्वज पोत पर भारतीय नौवहन कंपनी/भारतीय जलयान मालिक के माध्यम से नियोजित है या पंजीकृत आरपीएसएल कंपनी द्वारा/भारतीय ध्वज पोत/विदेशी ध्वज पोत पर नियोजित है।
 - (ii) नाविक की मृत्यु जलयान पर हुई है और मृत्यु के अनुमानित मामले भी इस योजना के तहत माने जाते हैं। इस योजना में बोर्ड पर हुई किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया जाएगा
 - (iii) जो नाविक जलयान पर ही मर गया है, उसकी प्रामाणिकता संबंधित शिपिंग मास्टर, सरकारी नौवहन कार्यालय/निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, नौवहन महानिदेशालय (क्रू शाखा) द्वारा पुष्टि की जाएगी।
 - (iv) इस योजना के लिए आवेदन पत्र नाविक की मृत्यु की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर एसडब्ल्यूएफएस द्वारा प्राप्त किया जाना है।
5. **राशि** नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस) मृतक नाविक के नामित व्यक्ति को 6,00,000 रुपये (छह लाख रुपये मात्र) की 'अनुग्रह सहायता' के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो 23 मार्च 2026 को या उसके बाद कंपनी/आरपीएसएल कंपनी के साथ संबंधित पोत के लिए दाखिल नामांकन फॉर्म के अनुसार मृत्यु हो गई थी।
6. सोसाइटी भारतीय पोत मालिकों/पंजीकृत आरपीएस, संबंधित कंपनी से संपर्क कर सकती है और इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के उद्देश्य से आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकती है।
7. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, सीडीसी पुस्तक की सत्यापित प्रति के साथ किया जाना है।
8. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति मामले-दर-मामले के आधार पर मामलों की जांच और निर्णय ले सकती है, और उसका निर्णय अंतिम होगा।
9. 22 मार्च 2026 से पहले जलयान पर नाविक के लापता होने या मृत्यु के मामलों के लिए, वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये होगी।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

(पंजीकृत पूर्त न्यास-पंजीकृत नंबर.एफ/1364/BOM)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलाई एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700,

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

'डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम' के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले नीचे दिए गए नोट्स देखें)

1. नाविक का पूरा नाम : श्री/श्रीमती/एमएस _____
(सीडीसीडीसी बुक के अनुसार)
2. सीडीसी नंबर : _____
3. जलयान का नाम : _____
4. साइन ऑन की तिथि : _____ मृत्यु की तिथि _____
5. भारतीय पोत मालिक कंपनी का नाम : _____
या भर्ती और नियुक्ति : _____
सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम : _____
और इस का पंजीकरण संख्या : _____
6. पूरे में आवेदक का नाम : _____
7. नाविक के साथ संबंध : _____
8. पत्राचार का पता: _____
9. आवेदक टेलीफोन नं/मोबाइल नं : _____

मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पिता/माता श्री/श्री/एमएस का _____ निधन हो गया है _____, जब वे पोत पर सवार थे।

मैं, अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे, योजना के लिए लागू एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के अनुसार 'डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूं। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

- (a) नवीनतम सीडीसी पुस्तक की सत्यापित प्रति/जहाज की नियुक्ति के लिए समझौते का अनुच्छेद जहां मृत्यु हुई।
- (b) आवेदक के किसी भी पहचान प्रमाण की सत्यापित प्रति (यानी पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/भारतीय पासपोर्ट आदि)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है:

(विवरणों को सत्यापित करने के लिए एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी.नंबर।	शाखा आईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम दर्शाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूं कि, मैं ऊपर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूं, और बाद में, यदि यह पाया जाता है कि मैं वास्तविक लाभार्थी नहीं हूं, या मेरा दावा बेईमान पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसायटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूं।

स्थान: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

तारीख: _____

आवेदक का नाम: _____

टिप्पणी:

1. यह योजना केवल भारतीय सी.डी.सी. धारक भारतीय नाविकों के लिए लागू है और भारतीय ध्वज पोत पर भारतीय नौवहन कंपनी/भारतीय पोत-मालिक के माध्यम से बोनाफाइड है या 12/03/2025 को या उसके बाद मृत्यु के मामलों के लिए विदेशी ध्वज पोत/भारतीय ध्वज पोत पर पंजीकृत आरपीएसएल कंपनी द्वारा नियोजित है।
2. यह योजना समुद्र में रहने के दौरान हुई नाविक की मृत्यु के मामलों पर लागू होती है और मृत्यु के अनुमानित मामलों को भी इस योजना के तहत माना जाता है।
3. जो नाविक जलयान पर ही मर गया है, उसकी प्रामाणिकता संबंधित शिपिंग मास्टर, सरकारी नौवहन कार्यालय/निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, नौवहन महानिदेशालय (कृ शाखा) द्वारा पुष्टि की जाएगी।
4. इस योजना के लिए आवेदन पत्र नाविक की मृत्यु की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एसडब्ल्यूएफएस द्वारा प्राप्त किया जाना है।/लापता होने की सूचना।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या।

संलग्न दस्तावेज़ सत्यापित किए गए और आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए 'डेथ ऑन बोर्ड बेनिफिट स्कीम' के तहत पात्र/अपात्र पाया गया। (केवल रुपये) _____